पत्रांक................/

प्रेषक, वरीय उप समाहर्त्ता,-सह-
जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

प्रेषित,

जिले के सभी नव0 प्रा0 वि0 / प्रा0 वि0 / उ0 म0 वि0 /म0 वि0/बुनियादी वि0/बालश्रमिक वि0 एवं मदरसा (म0 भो0 यो0 संचालित विद्यालय) के प्रधानाध्यापक।

मधेपुरा, दिनांक.................2013

विषय :- **वर्ष 2005 से मार्च 2013 तक की व्यय विवरणी निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 887 दिनांक 15.03.2013 के द्वारा वर्ष 2005 से मार्च 2013 तक की व्यय विवरणी निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों (15) के अन्दर समर्पित करने हेतु आपलोगों को निदेश दिया गया था जो अद्यावदि अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण विभाग को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्राचार हो रही है। कतिपय विद्यालयों से सूचना प्राप्त हो रही है कि पूर्व प्रभारी के द्वारा पूर्णरुपेण प्रभार नहीं दिया गया है। के संबंध में अंकित करना है कि पूर्व प्रभारी के द्वारा पूर्ण प्रभार नहीं देने के संबंध में ससमय सूचना विभाग को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया यदि उपलब्ध कराया गया हो तो साक्ष्य के साथ अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करेंगें एवं आपके द्वारा किस परिस्थिति में अपूर्ण प्रभार लिया गया।

अतः आपलोगों को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर वर्ष 2005 से मार्च 2013 तक की व्यय विवरणी निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित प्रखंड साधनसेवी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता मानते हुए आनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(ह0) 30/5/13

वरीय उप समाहर्त्ता-सह-
जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।

ज्ञापांक...1063.........../ मधेपुरा, दिनांक ....11/6/.......2013

प्रतिलिपि :- जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड साधनसेवी (म0 भो0 यो0) एवं सभी संकुल समन्वयक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही आपलोगों को निदेश दिया जाता है कि सभी आपस में समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन संग्रहित कर समेकन बनाकर 15 पन्द्रह दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। एवं जिन विद्यालय प्रधान के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं कराया जा रहा है वैसे प्रधान का सूची समर्पित करेंगें। अन्यथा आपलोगों के विरुद्ध उच्चाधिकारी को संसूचित कर दिया जायेगा।

(ह0) 30/5/13

वरीय उप समाहर्त्ता-सह-
जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा।